

शिविर प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर) जिला डूंगरपुर

शिविर स्थल खेडा कच्छवासा दिनांक 25.4.2023

कंमाक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/ 01 - 03

दिनांक 25/4/23
2

आदेश

प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी हल्का खेडा कच्छवासा भू.अ. निरीक्षक वृत्त.....

खिलडी की संयुक्त रिपोर्ट तथा तहसीलदार डूंगरपुर की अनुसंशा

के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत ग्राम खेडा कच्छवासा

तः डूंगरपुर जिला डूंगरपुर की जमाबंदी संवत् 2078

में खाता संख्या 196,74 नक्शा में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व

रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	<u>खेडा कच्छवासा</u> शाम - सुडई	196	ख.नं. 1360 रकबा 1.13 हेक्टर	ख.सं. 1360 रकबा 1.13 हे. को खिलानाम दर्ज कर खिलानाम ख.सं. 1362 में 1.13 हे. का चिह्नण करावे
2.	<u>खेडा कच्छवासा</u> शाम	74	ख.नं. 1361 रकबा 0-16 हेक्टर	ख.सं. 1361 रकबा 0-16 हे. को खिलानाम दर्ज कर खिलाना ख.सं. 1362 में प्रस्तावानुसार दर्ज करे।

Note:- सुडई निकाश उक्त आदेश का
अंग माना जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

कंमाक:- राजस्व. वाद / प्रशा. गावों के संग 2023/ 01 - 03

दिनांक 25/4/23

प्रतिलिपी,

1. तहसीलदार डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जा कर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. पटवारी पटवार हल्का खेडा कच्छवासा
3. रक्षित पत्रावली.

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर